न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 06/2020

उनवान

1. रामकुवार पुत्र नारायण,
2. सीता पत्नी मुकना,
3. बबलू पुत्र मुकना,
4. लालचन्द,
5. जय सिह पुत्र मुकना जाति भांबी नि0 श्रीनगर, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. मंदिर श्री शनिश्चर महाराज पूजारी जरिये दुर्गा पुत्र देवकरण जाति डाकोत नि0 श्रीनगर नसीराबाद,
2. बजरंगलाल पुत्र देवकरण जाति डाकोत नि0 ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद,
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

प्रतिवादीगण :– 1 व 2 जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत
3 जरिये तहसीलदार नसीराबाद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0 का0 अधि0 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक :– 10.7.24

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर के चौसाला खसरा नम्बर 3679 रकबा 2–12–0 के वंर्किग खसरा नम्बर 4466 रकबा 2–10–0, 4467 रकबा 0–02–00 के हाल खसरा नम्बर 4295 रकबा 0.16 व 4296 रकबा 0.25 की आराजी वादीगण के पूर्वज नारायण पुत्र भाणू के द्वारा दिनांक 22.08.1966 को तत्कालीन खातेदार देवकरण पुत्र गोरूलाल से कय की कब्जा व दखल प्रापत कर लिया था। आराजी मुतनाजा भू संशोधन के दौरान नियमानुसार केता नारायण पुत्र भाणू के नाम दर्ज की गयी किन्तु बंदोबस्त विभाग ने अपने हक व अधिकाररों से परे जाते हुये वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में विकेता जरियें मंदिर प्रतिवादी के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित कर दी। जिस कारण प्रतिवादी आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा आराजी मुतनाजा को अन्यत्र बैचान हस्तांतरण कने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार विकय पत्र अनुसार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे। [illegible] नोटिस तलब किया गया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाब मय प्रतिवाद पेश कर [illegible] किया कि आराजी मुतनाजा का विकय खातेदार देवकरण पुत्र गोरूलाल द्वारा [illegible] गया। वादीगण द्वारा गेर कानूनी रूप से आराजी मुतनाजा पर कब्जा बल का प्रयोग कर प्राप्त किया है। आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्वामित्व की है। राज्य सरकार द्वारा भू संशोधन कानून

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 13:59:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

को 1971 में ही निरस्त व अप्रभावी कर दिया था। अतः जमाबंदी में भू संशोधन के आधार पर की गयी खातेदारी किसी भी रूप में विधिक नही है। मंदिर की भूमि को विक्रय करने का अधिकार किसी को भी प्रारम्भ से ही नही है। वादीगण द्वारा किया गया कब्जा अवैध होने के कारण वादीगण का वाद सव्यय खारिज किया जावे व स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्वजों की विधिक कयशुदा है ?
— वादीगण

2. आया आराजी मुतननाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?
— वादीगण

3. आया आराजी मुतनाजा मन्दिर की भूमि होने से वादीगण का कोईं हक व अधिकार नही है ?
— प्रतिवादीगण

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, विक्रय पत्र पेश किये व वादी सीता के बयान दर्ज करवाये।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

तनकी संख्या 1 व 2 :–

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 3679 रकबा 2–12–0 जमाबंदी सम्वत् 2020–23 में मंदिर शनिश्चर महाराज मोहतमीम देवकरण पुत्र गोरूलाल के नाम दर्ज है। वर्किंग जमाबंदी में उक्त आराजी खसरा नमबर 4466 रकबा 2–10–00 खाता संख्या 680/687 में मंदिर शनिश्चर महाराज मोहतमीम सवाई पुत्र जगा गुर्जर के नाम दर्ज है तथा नामान्तकरण संख्या 54 दिनांक 11.10.77 से सवाई की विरासत मंगला, धन्ना पन्ना पि. सवाई के नाम दर्ज हुयी। फसली सन 1359 में आराजी मुतनाजा लादू पुत्र चौखा रेगर के नाम काश्तकार के रूप में दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र के अनुसार आराजी मुतनाजा मंदिर शनिश्चर महाराज के पुजारी देवकरण पुत्र गोरूलाल से नारायण पुत्र भाणु ने कय की है। किन्तु वादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तोवज में विकय दिनांक से पूर्व व पश्चात आराजी मुतनाजा मंदिर शनिश्चर महाराज के नाम दर्ज है। विकेता अथवा अन्य व्यक्ति का नाम उक्त आराजी पर पुजारी की हैसियत से ही दर्ज है। आराजी मुतनाजा मंदिर शनिश्चर महाराज के नाम है। मंदिर मूर्ति नाबालिग की श्रेणी में आती है, जिसकी देखभाल व भूमि की रक्षा हेतु पुजारी का नाम पूर्व में दर्ज किया जाता था किन्तु पुजारी को भूमि विकय करने का कोई विधिक अधिकार नही है। वादीगण का कथन है कि आराजी मुतनाजा भू संशोधन जमाबंदी में उनके नाम दर्ज थी। किन्तु भू संशोधन में पायी गयी त्रुटी व गैर कानूनी अनियमितता के कारण ही राज्य [illegible] द्वारा उक्त जमाबंदी व उसके समस्त इन्द्राज की मान्यता समाप्त [illegible] जमाबंदी के इन्द्राज वर्तमान में किसी भी स्थिति में मान्य नही है। वादीगण [illegible] के पक्ष द्वारा उक्त आराजी का किया गया विकय पत्र गैर कानूनी होने से आरम्भ से ही शून्य है व मंदिर शनिश्चर महाराज के हितों पर अप्रभावी है। वादी सीता पत्नी मु[illegible] ने भी अपने बयान में

—3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 13:59:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

स्वीकार किया है कि उसके ससुर द्वारा मंदिर की जमीन कय की है। आराजी मुतनाजा विधिक कयशुदा नही है। हाल राजस्व अभिलेख में भी उक्त आराजी मंदिर शनिश्चर महाराज के नाम दर्ज है अतः आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। तनकी विरूद्व वादीगण बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :–

तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा वादीगण की विधिक कयशुदा नही है ना ही आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। प्रतिवादीगण ने प्रकरण में प्रतिवाद पेश कर निवेदन किया है कि आराजी मुतनाजा का विकय कभी भी नही किया गया है तथा वादीगण ने बलपूर्वक उक्त आराजी पर कब्जा किया है। किन्तु प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिदावे में यह अंकित नही किया है कि आराजी मुतनाजा पर वादीगण द्वारा कब कब्जा किया गया है। प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिदावे के समर्थन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज भी पेश पही किये है। प्रतिवादीगण के पिता का नाम पूर्व में पुजारी की हैसियत से राजस्व अभिलेख में दर्ज था। किन्तु राज्य सरकार के आदेश अनुसार वर्तमान में मंदिर मूर्ति के नाम की भूमि से पुजारी का नाम हटा दिया गया है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा मंदिर शनिश्चर महाराज के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण अथवा उनके पूर्वजों का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। आराजी मुतनाजा कभी भी प्रतिवादीगण अथवा उनके पूर्वजों की खातेदारी नही रही है। अतः प्रतिवादीगण बेदखली के अधिकारी नही है।

उक्तानुसार ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 4295 रकबा 0.16 व 4296 रकबा 0.25 की आराजी पर वादीगण का वाद व प्रतिवादीगण का प्रतिदावा **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 13:59:22 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

हंगामी बनाम चन्द्र सिंह

दावा बाबत :– 183, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 68 / 2021
पेश करने की दिनांक – 07.07.21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक रमेश रावत मुद्दई अभिभाषक सीताराम रावत मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 4295 रकबा 0.16 व 4296 रकबा 0.25 की आराजी पर वादीगण का वाद व प्रतिवादीगण का प्रतिदावा **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 7 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 13:59:22 IST
Reason: SelfAttested